

॥ १६  
२५

पत्रावली पेश हुई। प्राग्गिण व वकिल प्राग्गि  
उपस्थित नहीं। उनकी अनुपस्थित रहने के  
कारण प्राग्गिना-पत्र से संबंधित मूल दावा  
अदम जैसे अदम दावरी में खारिज हो  
चुका है। जिस से प्रे प्राग्गिना-पत्र आगे  
चलने योग्य नहीं है।

अतः यह प्राग्गिना-पत्र  
इसी सतर पर खारिज किया जाता है।